

मध्य प्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 01-01-2026

क्रमांक F-I/709011/2026/Sec-1-10(FOR) राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवकों को कॉलम-4 में उल्लेखित पदस्थापना से स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरित करते हुये कॉलम-5 में उल्लेखित पदस्थापना पर कॉलम-5 अनुसार अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्रमांक	शासकीय सेवक का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
1	श्री संदीप दुबे	वनरक्षक	वन परिक्षेत्र खिवनी अभ्यारण्य	वन परिक्षेत्र इन्दौर, सामान्य वनमण्डल इन्दौर
2	श्रीमती श्वेता गौर	वनरक्षक	सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम	सामान्य वनमण्डल भोपाल
3	श्री दीपक शर्मा	वनरक्षक	वीरांगना दुर्गावती टाईगर रिजर्व, सागर	वन परिक्षेत्र गाडरवारा, सामान्य वनमण्डल नरसिंहपुर
4	श्रीमती शिक्षा सोनी	वनरक्षक	कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला	शासन आदेश 17/06/2025 द्वारा दक्षिण सामान्य वनमण्डल छिंदवाड़ा में गई पदस्थापना में संशोधन कर पश्चिम उत्पादन वनमण्डल छिंदवाड़ा

1. स्थानान्तरित कर्मचारी के भारमुक्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही नवीन पदस्थिति वाले कार्यालय द्वारा की जावेगी।
2. स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरित कर्मचारियों को यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
3. आदेश जारी होने की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानीय व्यवस्था से अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्र. F-I/709011/2026/Sec-1-10(FOR), भोपाल, दिनांक 01-01-2026

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
  2. विशेष सहायक, मान. राज्य वनमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
  3. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  6. अप्रमुवसं (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  7. संबंधित मुवसं/वमंअ..... द्वारा अप्रमुवसं (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
  8. संबंधित ..... द्वारा अप्रमुवसं (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/-

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग